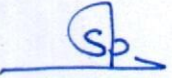
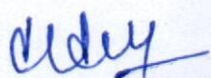
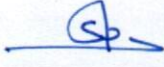
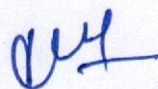
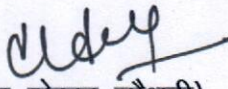


आदेश की ति	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.06.2024	वाद संख्या-06/2024 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निशा घोष के प्रतिनिधि के तौर पर श्री डब्लू घोष, ग्राम-जनार्दनपुर, पंचायत-बागडेहरी, प्रखण्ड-कुण्डहित, जिला-जामताड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा पत्रांक-1634 दिनांक-26.06.2024 के माध्यम से यह बताया गया है कि लाभुक को राशि के भुगतान में विलंब की वजह लाभुक का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना था। निदेशक द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि लाभुक का बैंक खाता माह अप्रैल, 2024 में लिंक कराया गया। अतः उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो पाई और विलंब होने की यही वजह है। इस बीच लाभुक के प्रतिनिधि श्री डब्लू घोष का कहना है कि विभाग और जिला प्रारंभ से ही आयोग और शिकायतकर्ता को गलत जानकारी दे कर भ्रमित कर रहा है। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्री डब्लू घोष का कहना है कि उनका बैंक खाता शुरू से ही आधार से लिंक है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को निर्देश देता है कि वे अपने बैंक से इस बात का प्रमाण आयोग को प्रेषित करें कि उनका वह बैंक खाता, जिसका उल्लेख विभाग द्वारा किया जा रहा है, वह आधार से कब से लिंक है। यदि विभाग और जिला स्तर से उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत प्रमाणित हुई, तो आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य होगा कि एक तरफ निदेशालय लाभुकों को अधिकारों से वंचित कर रहा है, दूसरी तरफ आयोग को भी गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई करने का बाध्य होगा। आयोग निर्देश देता है कि निदेशक, समाज कल्याण द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र की प्रति शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को वाट्सएप्प के माध्यम से भेज दें। इस बीच निदेशक के प्रतिवेदन में इस आशय का भी उल्लेख किया गया है कि भुगतान 07 दिनों के अन्दर कर दिया जाएगा। आयोग शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को यह निर्देश देता है कि यदि 07 दिनों के अन्दर भुगतान नहीं होता है, तो वे आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर इस आशय की सूचना दें। 07 दिन की गणना दिनांक-26.06.2024 से होगी। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्री डब्लू घोष ने आयोग को दिनांक-15.06.2024 को एक आवेदन भेजा है, जिसमें उन्होंने इस आशय की शिकायत की है कि दिनांक-04.06.2024 को करीब सुबह 08.00 बजे महिला पर्यवेक्षिका, कुण्डहित (श्रीमती गीता देवी) ने परिवादी श्रीमती निशा घोष को यह बताया कि उन्हें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा उनके घर भेजा गया है। शिकायतकर्ता श्रीमती निशा घोष ने दिनांक-15.06.2024 के आवेदन में इस	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्त
	बात का उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता को 2000/- रु0 रिश्वत लेकर आयोग में दर्ज किये गये मामले को वापस लेने का भी लालच दिया गया। श्रीमती निशा घोष ने इसे जिला प्रशासन की मनमानी और गैर कानूनी बताते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आयोग शिकायतकर्ता श्रीमती निशा घोष द्वारा दिनांक-15.06.2024 को लिखे गये पत्र को गंभीरता से लेते हुए पत्र की प्रति उपायुक्त, जामताड़ा को भेजने का निर्देश देते हुए उपायुक्त, जामताड़ा को निर्देश देता है कि वे आयोग के पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर पूरे मामले की जाँच कर, अपना जाँच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। शिकायतकर्ता श्रीमती निशा घोष द्वारा दिनांक-15.06.2024 को लिखे गये शिकायत-पत्र की प्रति उपायुक्त, जामताड़ा को भेजने का निर्देश सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को दिया जाता है। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-22.07.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-22.07.2024 को रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 के नियम 14(4) द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित दो सदस्यीय बेंच पूर्ण नहीं हो पाने के कारण वाद की सुनवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें।  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
07.08.2024	इस वाद की सुनवाई कतिपय कारण से स्थगित की गई थी। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-28.08.2024 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें।  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। अपरिहार्य कारण से इस वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-09.09.2024 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	